

कोविड -19 महामारी के दौरान कुछ विशिष्ट आप्रवासन पर राष्ट्रपति ट्रम्प की यात्रा पर प्रतिबंध

अस्वीकरणः इस परामर्शदात्री का निर्माण आप्रवासन कानून इकाई, द लीगल एड सोसाइटी, द्वारा किया गया है। यह परामर्शदात्री कोई कानूनी सलाह नहीं है और किसी आप्रवासन विशेषज्ञ की सलाह के एवज में नहीं है। इसमें निहित जानकारी इस दस्तावेजन के नीचे दी गई संस्करण तिथि के अनुसार वर्तमान की है और यह बदलाव के अधीन है।

22 अप्रैल 2020 को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को अमेरिका में प्रवेश को निलंबित किया था जो कानूनी रूप से स्थायी निवासी (LPR, जिसका अर्थ है ग्रीन कार्ड धारक) होने की मांग कर रहे हैं। यह उद्घोषणा 23 अप्रैल 2020 को रात्रि 11 बजकर 59 मिनट से प्रभावी है और इसकी समाप्ति तिथि 60 दिनों के लिए तय की गई है, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

यह उद्घोषणा किसके लिए लागू होती है?

यह उद्घोषणा LPR का दर्जा मांगने वाले लोगों पर लागू होती है:

- जो इसकी प्रभावी तिथि पर अमेरिका से बाहर हैं;
- जिनके पास अप्रवासी वीजा नहीं है (जिसका अर्थ LPR दर्जा के लिए वीजा है) जो कि उद्घोषणा की प्रभावी तिथि को मान्य है; और
- जिसके पास वीजा के अलावा कोई आधिकारिक यात्रा दस्तावेज नहीं है (जैसे ट्रांसपोर्टेशन लेटर, उपयुक्त बोर्डिंग फ़ॉइल, या एडवांस पैरोल दस्तावेज)।

क्या कोई अपवाद है?

हां। यह उद्घोषणा उन लोगों पर लागू नहीं होती है, जिनके पास पहले से ही LPR हैं।

यह अमेरिका के बाहर उन लोगों पर भी लागू **नहीं** होता है, जो आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं और LPR का दर्जा प्राप्त करने के लिए अमेरिका में आने की कोशिश कर रहे हैं:

- अमेरिकी नागरिक के जीवनसाथी या किसी नाबालिग या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे के रूप में, इसमें भविष्य में गोद लिए जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं;
- डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के रूप में, इसमें उनके जीवनसाथी या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं;
- कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए इच्छुक चिकित्सा शोधकर्ता या अन्य शोधकर्ता के रूप में, इसमें उनके जीवनसाथी या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं;

- कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कार्य करना. या कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव से निपटना या किसी अन्य रूप में उसे समाप्त करना, इसमें उनके जीवनसाथी या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं;
- EB-5 आप्रवासी निवेशक प्रोग्राम के अंतर्गत;
- अमेरिकी कानून प्रवर्तन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए (हालांकि वे अपरिभाषित हैं);
- अमेरिकी सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में, और इसमें इसमें उनके जीवनसाथी या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं;
- 21 वर्ष से कम आयु के कुछ विशेष आप्रवासी वीजा धारक, और इसमें उनके जीवनसाथी या 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल हैं;
- जिनका प्रवेश राष्ट्रीय हित में होगा।

गैर-आप्रवासी वीजा के बारे में क्या कोई जानकारी है?

इस उद्घोषणा में गैर-आप्रवासी (अस्थायी) वीजा पर अमेरिका आने की कोशिश करने वाले लोगों पर प्रतिबंध **नहीं** लगाया गया है, हालांकि यह संकेत दिया गया है कि अगले 30 दिनों के भीतर गैर-आप्रवासी वीजा को लक्षित किया जा सकता है।

अमेरिका में पहले से रहने वाले लोगों के बारे में क्या कोई जानकारी है?

यह उद्घोषणा अमेरिका में पहले से रहने वाले और आप्रवासी या गैर-आप्रवासी वीजा की मांग करने वाले लोगों पर लागू **नहीं** होती है। यह केवल उद्घोषणा की प्रभावी तिथि को इस देश के बाहर कुछ आप्रवासी वीजा की मांग करने वाले लोगों के लिए अमेरिका में प्रवेश को सीमित करता है।

शरण मांगने वाले लोगों के बारे में क्या कोई जानकारी है?

यह उद्घोषणा शरण मांगने वाले लोगों, शरणार्थी का दर्जा, रोक हटाने या यातना और उत्पीड़न के खिलाफ सम्मेलन के अंतर्गत सुरक्षा की क्षमता को सीमित **नहीं** करती है।

क्या कोई छूट प्रक्रिया है?

हालांकि यात्रा प्रतिबंध पर छूट लेने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उद्घोषणा में एक सामान्य कैच-ऑल प्रावधान है, जिससे प्रभावित लोगों को अमेरिका में अनुमित दी जा सकती है, यदि वे यह साबित कर सकें कि उनकी प्रविष्टि राष्ट्रीय हित में होगी, जैसा कि राज्य सचिव, होमलैंड सुरक्षा के सचिव, या किसी अन्य नामित सचिव द्वारा निर्धारित किया गया है।

यदि आपके पास कोई प्रश्न है या सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया हमारी आप्रवासन हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक 844-955-3425 पर कॉल करें।